

अपशषिट प्रबंघन नयिमों और दशानरिदेशों को लागू कयिा है। इसमे शामिल है:

- टोस अपशषिट प्रबंघन नयिम, 2016 ।
- प्लासटक अपशषिट प्रबंघन नयिम, 2016 ।
- जैव चकितिसा अपशषिट प्रबंघन नयिम, 2016 ।
- नरिमाण एवं वधिवंस अपशषिट प्रबंघन नयिम, 2016 ।
- हानकारक व अन्य अपशषिट (प्रबंघन और सीमापारीय संचलन) नयिम, 2016 ।
- ई-अपशषिट प्रबंघन नयिम, 2022 ।
- बैटरी अपशषिट प्रबंघन नयिम, 2022 ।
- पर्यावरण के अनुकूल अपशषिट प्रबंघन पर भी दशानरिदेश जारी कयिा गए हैं।
 - हानकारक अपशषिट, ई-अपशषिट तथा प्लासटक के उत्पाद शुल्क भुगतान सदिधांत के आधार पर पर्यावरणीय कषत/पर्यावरण कषतपूरति शुल्क लगाने के लयि दशानरिदेश जारी कयिा गए हैं ।

नोट:

- 'प्रदूषक भुगतान' सदिधांत आम तौर पर स्वीकृत प्रथा है जसिके तहत जो लोग प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें मानव स्वास्थय अथवा पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लयि इसके प्रबंघन की लागत वहन करनी चाहयि ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत में टोस अपशषिट प्रबंघन नयिम, 2016 के अनुसार, नमिनलखिति में से कौन-सा कथन सही है? (2019)

- (a) अपशषिट उत्पादक को पाँच कोटयिों में अपशषिट अलग-अलग करने होंगे ।
- (b) ये नयिम केवल अधसूचति नगरीय स्थानीय नकियों, अधसूचति नगरों तथा सभी औद्योगकि नगरों पर ही लागू होंगे ।
- (c) इस नयिम में अपशषिट भराव स्थलों तथा अपशषिट प्रसंसकरण सुवधिओं के लयि सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधति हैं ।
- (d) अपशषिट उत्पादक के लयि यह आज्ञापक होगा ककिसी एक ज़ल्लि में उत्पादति अपशषिट, कसिी अन्य ज़ल्लि में न ले जाया जाए ।

उत्तर: (c)